

101

4-9-12

न्यायालय श्रीमान् राजस्व बोर्ड ग्वालियर कैम्प रीवा ₹ 10000

R-3122-5/12



25/20

2588

भीमसेन उर्फ भिम्मा साहू तनय स्व० सहादी साहू, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी

ग्राम- वेल्मना, थाना- तह०- चेंदिया, जिला उमरिया ₹ 10000

..... निगरानीकर्ता

श्रीमान् राजस्व बोर्ड ग्वालियर

बनाम

भागवत प्रसाद साहू तनय स्व० तेजिया उर्फ तेजी साहू, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी

ग्राम- वेल्मना, थाना- तह०- चेंदिया, जिला उमरिया ₹ 10000

..... गैरनिगरानीकर्ता

अधिवक्ता श्री विनोदसिंह द्वारा उपस्थित रीवा, दिनांक 24.8.2012
Amul 15/8/12

निगरानी विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी बॉधगढ़

तह०- बॉधगढ़, जिला उमरिया द्वारा राजस्व

प्रकरण क्रमांक- 89/अपील/10-11 में पारित

आदेश दिनांक 26/6/2012 के विरुद्ध

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म०प्र० भू.रा.सं.

महोदय,

निगरानी के आधार निम्नानुसार है:-

* प्रकरण के बारे में संक्षिप्त तथ्य :-

निगरानीकर्ता के पिता आपस में तीन सगे भाइयो क्रमशः धानू, तेजिया, एवं सहादी साहू है निगरानीकर्ता ग्राम बेल्मना अखाडार, थाना- चेंदिया, तह० बॉधगढ़, केपुस्तैनी काश्तकार निवासी है एवं आराजी क्रमांक- 158 रकबा

Diagh. (Date) (Page No.)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.3122-II/12

जिला-उमरिया

भीमसेन उर्फ भिम्मा साहू/भागवत प्रसाद साहू

(1)	(2)	(3)
20.07.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक के वारिसान तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता कई पेशियों से उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

M